कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान– बीकानेर

आदेश

यह है कि सुश्री अमिता गोयल प्रधानाचार्य राउमावि कुचावटी, डीग भरतपुर को रमसा द्वारा स्वीकृत कक्षा कक्ष निर्माण हेतु 39.82 लाख रुपये के कार्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने विद्यालय में दो बार तालाबंदी से शैक्षिक वातावरण खराब होने, इनके व्यवहार के कारण स्टॉफ के सदस्यों, विद्यार्थियों अभिभावकों एवं ग्रामीणों में तनाव पैदा होने तथा उच्चाधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करने के साथ–साथ प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहते हुए पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आदेश क्रमांक स्था/2019/62/795 दिनांक 18.02.2019 द्वारा तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया था जिसकी इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.02.2019 द्वारा पुष्टि की गई थी।

प्रकरण में सुश्री अमिता गोयल द्वारा दर्ज डीबी सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1529/19 की सुनवाई दिनांक 30.10.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक आदेश पारित कर जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.02.2019 को Revoke करने के आदेश दिए हैं।

अतः माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समसंख्यक निलम्बन आदेश दिनांक 18.02.2019 एवं पुष्टि आदेश दिनांक 21.02.2019 को तत्काल प्रभाव से **REVOKE** किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांकः– 30/10/19

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/11500/34/19/243
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।
2. संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) संस्थापन ए–बी अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि सुश्री अमिता गोयल का पदस्थापन कर सूचित करें।
3. संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय हाजा।
4. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, भरतपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भतरपुर को अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि सुश्री अमिता गोयल तत्का0 निलम्बित प्रधानाचार्य राउमावि कुचावटी, डीग भरतपुर को आदेश सर्व करवावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सुश्री अमिता गोयल तत्का0 निलम्बित प्रधानाचार्य राउमावि कुचावटी, डीग भरतपुर वर्तमान मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
8. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर